मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
किसान भवन, 26, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्रमांक/बी-6/नियमन/अनुज्ञप्ति/474/ 2681 भोपाल, दिनाँक 18/09/2019

आदेश

मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन 1973) की धारा 81 की उपधारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रदेश की कृषि उपज मण्डियों में अधिसूचित कृषि उपजों की बेहतर नियमन व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से कृषि उपज मण्डी समितियों से यह अपेक्षा करते हुए, निर्देशित किया जाता है कि मण्डी समिति का सम्मेलन आहूत कर, मण्डी समितियों के लिए लागू उपविधि सन 2000 के संबंध में संलग्न अनुसार नवीन/संशोधित प्रावधान अनिवार्य रूप अन्तःस्थापित करें .

- नवीन संशोधित **कंडिका 18**,
- संशोधित **कंडिका 19(1),**
- नवीन **प्ररूप-सात (ब)**
- प्ररूप - आठ के स्थान पर अब **सात पृथक** प्ररूप:- **प्ररूप –आठ (1), प्ररूप–आठ (2), प्ररूप–आठ (3), प्ररूप–आठ (4), प्ररूप–आठ (5), प्ररूप–आठ (6)** एवं **प्ररूप–आठ (7)**

मण्डी समिति मे सम्मेलन आहूत करने की विनिर्दिष्ट कालावधि मे मण्डी समिति द्वारा उपविधि एवं प्ररूपों को उपरोक्तानुसार संशोधित करने में असफल रहने की स्थिति मे उपविधि एवं प्ररूप के उक्त संशोधन इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधो के अनुसार मण्डी समिति द्वारा किये गये समझे जाएंगे और तदुपरि उक्त संशोधन दिनांक 18/10/2019 से मण्डी समिति पर आबद्धकर होगे।

संलग्न :– पृ.क्र.01 से 30

(अशोक कुमार वर्मा)
प्रबंध संचालक
म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बी-6/नियमन/अनुज्ञप्ति/474/ 2682 भोपाल, दिनाँक 18/09/2019

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव म प्र शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग।
2. जिला कलेक्टर (समस्त)।
3. अपर संचालक/संयुक्त संचालक/उप संचालक म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।
4. संयुक्त/उपसंचालक म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय (समस्त)।
5. चीफ प्रोग्रामर म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल। उक्त संशोधन आदेश को मंडी बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध कराएं। इसके साथ ही पूर्व से वेबसाइट पर उपलब्ध उपविधि में आवश्यक संशोधन कर अद्यतन करें।
6. भारसाधक अधिकारी/अध्यक्ष/सचिव कृषि उपज मण्डी समिति (समस्त)।
7. गार्ड फाइल।

प्रबंध संचालक
म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

A. उपविधि 2000 की **कंडिका 18 – कृत्यकारियों को अनुज्ञप्ति स्वीकृत करना** को निम्नानुसार संशोधित कर पुनर्स्थापित जाता है –

1. उपविधि 2000 की **कंडिका 18(1) – अनुज्ञप्ति फीस** को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है -

18(1) – आवेदन फीस एवं अनुज्ञप्ति फीस –

अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन के साथ निम्नानुसार आवेदन फीस एवं अनुज्ञप्ति फीस का भुगतान करना अनिवार्य होगा –

अनुज्ञप्ति का प्रकार	आवेदन प्ररूप	आवेदन फीस	अनुज्ञप्ति फीस (पाँच वर्ष हेतु)
(अ) व्यापारी/ पक्का आढ़तिया हेतु अनुज्ञप्ति	पाँच-अ	रु 100 /-	रु 5000 /-
(अ-1) शासकीय, अर्द्धशासकीय, सरकारी स्वामित्व की/सरकार द्वारा प्रवर्तित सहकारी संस्था हेतु व्यापारी अनुज्ञप्ति	पाँच-अ	रु 100 /-	रु 5000 /-
(अ-2) केवल भंडारण हेतु व्यापारी अनुज्ञप्ति	पाँच-अ (1)	रु 100 /-	रु 2500 /-
(अ-3) किसान उत्पादक कम्पनी (FPC) हेतु व्यापारी अनुज्ञप्ति	पाँच-अ (2)	निरंक	रु 1000 /-
(अ-4) केवल वाणिज्यिक (द्वितीयक) संव्यवहार हेतु व्यापारी अनुज्ञप्ति	पाँच-अ (3)	रु 100 /-	रु 25000 /-
(ब) प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता हेतु अनुज्ञप्ति	पाँच-ब	रु 100 /-	रु 5000 /-
(ब-1) शासकीय, अर्द्धशासकीय, सरकारी स्वामित्व की/सरकार द्वारा प्रवर्तित सहकारी संस्था हेतु प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता अनुज्ञप्ति	पाँच-ब	रु 100 /-	रु 5000 /-
(स-1) तुलैया अथवा तुलावटी अनुज्ञप्ति	पाँच-स	निरंक	रु 500 /- एक वर्ष हेतु रु 100 /-
(स-2) हम्माल अनुज्ञप्ति	पाँच-स	निरंक	रु 200 /- एक वर्ष हेतु रु 50 /-
(स-3) सर्वेक्षक/ भांडागारिक/ दलाल/ परिवहनकर्ता हेतु अनुज्ञप्ति	पाँच-स	रु 100 /-	रु 5000 /-

2. उपविधि 2000 की **कंडिका 18(2) – अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन** को निम्नानुसार संशोधित कर पुनर्स्थापित किया जाता है -

18(2) (क) – नवीन अनुज्ञप्ति एवं अनुज्ञप्ति नवीनीकरण हेतु आवेदन –

अधिनियम की धारा 02 में परिभाषित मण्डी कृत्यकारी, अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत मण्डी समिति से अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) प्राप्त करने के लिए यथास्थिति नियत प्ररूप में आवेदन प्रस्तुत करेंगे।

आवेदन ऑनलाइन माध्यम से प्रस्तुत किये जा सकेंगे, जैसा कि प्रबंध संचालक समय-समय पर निर्देशों में विहित करें.

आवेदक, एमपी ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से या स्वयं के कंप्यूटर द्वारा, एमपी ऑनलाइन पोर्टल (या इस संबंध में विकसित किये गए अन्य पोर्टल, जिसके बारे में प्रबंध संचालक द्वारा समय-समय पर निर्देशित किया जाए) पर लॉगिन कर अपना ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।

परंतु अधिनियम में दी गई व्यापारी की परिभाषा के अनुसार ऐसे प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता को, जो कृषि उपज को क्रय करके प्रसंस्करण या विनिर्माण उपरांत विक्रय करता है, तो प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता के साथ-साथ व्यापारी के रूप में भी अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन करना होगा।

परंतु अनुज्ञप्ति नवीनीकरण के मामले में ऑनलाइन अनुज्ञप्ति की वैधता समाप्ति दिनांक के एक माह पूर्व से लेकर वैधता समाप्ति दिनांक के तीन माह पश्चात् तक की समयावधि में प्रस्तुत किये जा सकेंगे। तीन माह पश्चात् तक की यह समयसीमा अधिकतम होगी। इस दौरान नवीनीकरण हेतु आवेदन किये जाने पर अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण, अनुज्ञप्ति वैधता समाप्ति दिनांक से मान्य किया जाएगा। उक्त तीन माह पश्चात् की अवधि में नवीनीकरण आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर प्रति माह (या उसके खंड के लिए) रुपये 500/- का विलम्ब शुल्क संबंधित मंडी द्वारा प्राप्त किया जाएगा।

उक्त नियत समयसीमा (अनुज्ञप्ति वैधता समाप्ति दिनांक के तीन माह पश्चात् तक की समयावधि) के उपरांत नवीनीकरण आवेदन प्राप्त होने पर, उक्तानुसार विलम्ब शुल्क प्राप्त किया जाकर अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण आगामी स्वीकृति दिनांक से ही किया जाएगा। इस बीच गैर अनुज्ञप्ति अवधि में किया गया व्यापार, प्रसंस्करण, विनिर्माण अवैध होकर मंडी अधिनियम, नियम, उपविधि के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही योग्य होगा.

परन्तु यह और कि तुलैया अथवा तुलावटी तथा हम्माल को विकल्प होगा कि वह अनुज्ञप्ति का वार्षिक नवीनीकरण करा सकते है ।

18(2)(ख) – अनुज्ञप्ति हेतु पात्रता एवं आवश्यक अभिलेख –
पात्रता –

(अ)	**व्यापारी/ पक्का आढ़तिया अनुज्ञप्ति**	कोई भी व्यक्तिगत (व्यस्क)/ संस्था/ प्रोपराइटरशिप फर्म/ पार्टनरशिप फर्म/ कंपनी/ हिन्दू अविभक्त परिवार/ सोसाइटी/ कोऑपरेटिव सोसाइटी.
(अ-1)	**शासकीय, अर्द्धशासकीय, सरकारी स्वामित्व की /सरकार द्वारा प्रवर्तित सहकारी संस्था हेतु व्यापारी अनुज्ञप्ति**	केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन शासकीय, अर्द्धशासकीय, सरकारी स्वामित्व की /सरकार द्वारा प्रवर्तित सहकारी संस्था.
(अ-2)	**केवल भंडारण हेतु व्यापारी अनुज्ञप्ति**	कोई भी व्यक्तिगत (व्यस्क)/ संस्था/ प्रोपराइटरशिप फर्म/ पार्टनरशिप फर्म/ कंपनी/ हिन्दू अविभक्त परिवार/ सोसाइटी/ कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो पूर्व से प्रदेश की किसी मंडी समिति का अनुज्ञप्तिधारी हो.
(अ-3)	**किसान उत्पादक कम्पनी (FPC) हेतु व्यापारी अनुज्ञप्ति**	कंपनी अधिनियम 1956 के भाग IXA के अधीन स्थापित किसान उत्पादक कम्पनी**.**
(अ-4)	**केवल वाणिज्यिक (द्वितीयक) संव्यवहार हेतु व्यापारी अनुज्ञप्ति**	कोई भी व्यक्तिगत (व्यस्क)/ संस्था/ प्रोपराइटरशिप फर्म/ पार्टनरशिप फर्म/ कंपनी/ हिन्दू अविभक्त परिवार/ सोसाइटी/ कोऑपरेटिव सोसाइटी.
(ब)	**प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता हेतु अनुज्ञप्ति**	कोई भी व्यक्तिगत (व्यस्क)/ संस्था/ प्रोपराइटरशिप फर्म/ पार्टनरशिप फर्म/ कंपनी/ हिन्दू अविभक्त परिवार/ सोसाइटी/ कोऑपरेटिव सोसाइटी.
(ब-1)	**शासकीय, अर्द्धशासकीय, सरकारी स्वामित्व की /सरकार द्वारा प्रवर्तित सहकारी संस्था हेतु प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता अनुज्ञप्ति**	केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन शासकीय, अर्द्धशासकीय, सहकारी संस्था.
(स-1)	**तुलैया अथवा तुलावटी अनुज्ञप्ति**	1. म.प्र का निवासी. 2. आयु 62 वर्ष से अधिक नहीं. 3. कम से कम (प्राइमरी स्कूल) पांचवी कक्षा तक शिक्षित होना अनिवार्य. (यह अनिवार्यता पूर्व से कार्यरत तुलैया अथवा तुलावटी पर लागू नहीं)
(स-2)	**हम्माल अनुज्ञप्ति**	1. म.प्र का निवासी. 2. आयु 62 वर्ष से अधिक नहीं.
(स-3)	**सर्वेक्षक/भांडागारिक/दलाल/परिवहनकर्ता अनुज्ञप्ति**	कोई भी व्यक्तिगत (व्यस्क)/ संस्था/ प्रोपराइटरशिप फर्म/ पार्टनरशिप फर्म/ कंपनी/ हिन्दू अविभक्त परिवार/ सोसाइटी/ कोऑपरेटिव सोसाइटी.

आवश्यक अभिलेख –

सभी तरह की व्यापारी, प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता अनुज्ञप्ति तथा सर्वेक्षक/भांडागारिक/दलाल/ परिवहनकर्ता अनुज्ञप्ति (उपरोक्त क्रमांक अ, अ-1, अ-2, अ-4, ब, ब-1, स-3) हेतु ऑनलाइन आवेदन करते समय निर्धारित आवेदन फीस, अनुज्ञप्ति फीस एवं प्रतिभूति (जहाँ भी लागू हो) के साथ निम्नानुसार अभिलेख (अनुप्रमाणित छायाप्रतियां) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा:-

i. व्यक्तिगत अथवा प्रोपराईटरशिप फर्म होने पर :-

- आवेदक अर्थात प्रोपराईटरशिप फर्म के स्वामी का पहचान का प्रमाण व पते का प्रमाण (अनुसूचित बैंकों में स्वीकार्य KYC मानकों के अनुरूप).
- आवेदक का आधार क्रमांक.
- आवेदक का समग्र आईडी.
- आवेदक का आयकर PAN.
- प्रोपराईटरशिप फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र, पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक.
- प्रोपराईटरशिप फर्म का आयकर PAN.
- प्रोपराईटरशिप फर्म का भारत सरकार के केंद्रीय माल एवं सेवा कर अंतर्गत पंजीयन क्रमांक (GSTIN).
- प्रोपराईटरशिप फर्म का मध्यप्रदेश शासन के वाणिज्यिक कर विभाग अंतर्गत VAT का पंजीयन क्रमांक (TIN).
- आवेदक तथा प्रोपराईटरशिप फर्म के बैंक खातों का विवरण (सभी बैंक खातों का विवरण दिया जाना अनिवार्य).
- उपलब्ध पूंजी एवं अचल संपत्ति का विवरण, प्रसंस्करण, विनिर्माण संयंत्र का विवरण, पूंजी नियोजन.
- कृषि उपज भण्डारण हेतु उपलब्ध गोदाम अथवा किराये के गोदाम का विवरण, मालिकाना किरायानामा अनुबंध.
- गोदाम का नक्शा.
- मंडी कार्य सम्पादित करने वाले अधिकतम 2 अधिकृत प्रतिनिधियों के पहचान का प्रमाण व पते का प्रमाण (अनुसूचित बैंकों में स्वीकार्य KYC मानकों के अनुरूप), आधार क्रमांक एवं समग्र आईडी.
- पूर्व से प्रदेश की किसी मंडी समिति में अनुज्ञप्ति धारण करने की स्थिति में सभी मंडियों का अनुज्ञप्ति क्रमांक, वैधता अवधि एवं ई-अनुज्ञा पोर्टल पर आवंटित MAN.
- मंडी क्षेत्र के बाहर का होने पर मंडी समिति के दो अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी, प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता का परिचय एवं गारंटी का प्रमाण.
- क्रयक्षमता का प्रमाण पत्र एवं घोषणा – प्ररूप – 6 अनुसार.
- सामूहिक प्रतिभूति की स्थिति में प्रमाण पत्र - प्ररूप – 7 अनुसार.
- व्यक्तिगत प्रतिभूति की स्थिति में प्रमाण पत्र - प्ररूप – 7(अ) अनुसार.
- निर्धारित प्रतिभूति सावधि जमा (एफडीआर) अथवा बैंक गारंटी.
- मंडी क्षेत्र के बाहर का होने पर अतिरिक्त प्रतिभूति.
- बैंक गारंटी की स्थिति में बैंक के लेटरहेड पर वचन पत्र - प्ररूप – 7(स) अनुसार.
- स्थावर/अचल संपत्ति बंधक की स्थिति में वैधानिक अनुबंध
- केवल भण्डारण हेतु व्यापारी अनुज्ञप्ति के लिए निर्धारित प्ररूप में शपथपत्र.
- केवल वाणिज्यिक (द्वितीयक) संव्यवहार हेतु कृषकों से क्रय नहीं करने के आशय का निर्धारित प्ररूप में शपथपत्र.

ii. गैर व्यक्तिगत अर्थात पार्टनरशिप फर्म/ कंपनी/ हिन्दू अविभक्त परिवार/ सोसाइटी/ कोऑपरेटिव सोसाइटी आदि होने पर

- आवेदनकर्ता संस्था के द्वारा आवेदक का प्राधिकार पत्र, पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी.
- आवेदक का पहचान का प्रमाण व पते का प्रमाण (अनुसूचित बैंकों में स्वीकार्य KYC मानकों के अनुरूप).
- आवेदक का आधार क्रमांक.
- आवेदक का समग्र आईडी.
- आवेदक का आयकर PAN.
- आवेदनकर्ता संस्था का पंजीयन प्रमाण पत्र, पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक. (कंपनी अधिनियम, सोसाइटी अधिनियम अथवा अन्य किसी विधि के अनुसार मान्य पंजीयन)
- आवेदनकर्ता संस्था के संविधान, नियम, उपनियम, मेमोरैंडम ऑफ़ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ़ एसोसिएशन (जो भी लागू हो)
- आवेदनकर्ता संस्था के शासी निकाय (गवर्निंग बॉडी) अथवा संचालक मंडल (बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स) में सम्मिलित सभी सदस्यों के पहचान का प्रमाण व पते का प्रमाण (अनुसूचित बैंकों में स्वीकार्य KYC मानकों के अनुरूप), आधार क्रमांक एवं समग्र आईडी.
- आवेदनकर्ता संस्था का आयकर PAN.
- आवेदनकर्ता संस्था का भारत सरकार के केंद्रीय माल एवं सेवा कर अंतर्गत पंजीयन क्रमांक (GSTIN).
- आवेदनकर्ता संस्था का मध्यप्रदेश शासन के वाणिज्यिक कर विभाग अंतर्गत VAT का पंजीयन क्रमांक (TIN).
- आवेदनकर्ता संस्था के सभी बैंक खातों का विवरण (सभी बैंक खातों का विवरण दिया जाना अनिवार्य).
- आवेदनकर्ता संस्था की उपलब्ध पूंजी एवं अचल संपत्ति का विवरण, प्रसंस्करण, विनिर्माण संयंत्र का विवरण, पूंजी नियोजन.
- कृषि उपज भण्डारण हेतु उपलब्ध गोदाम अथवा किराये के गोदाम का विवरण, मालिकाना किरायानामा अनुबंध.
- गोदाम का नक्शा.
- मंडी कार्य सम्पादित करने वाले अधिकतम 2 अधिकृत प्रतिनिधियों के पहचान का प्रमाण व पते का प्रमाण (अनुसूचित बैंकों में स्वीकार्य KYC मानकों के अनुरूप), आधार क्रमांक एवं समग्र आईडी.
- पूर्व से प्रदेश की किसी मंडी समिति में अनुज्ञप्ति धारण करने की स्थिति में सभी मंडियों का अनुज्ञप्ति क्रमांक, वैधता अवधि एवं ई-अनुज्ञा पोर्टल पर आवंटित MAN.
- मंडी क्षेत्र के बाहर का होने पर मंडी समिति के दो अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी, प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता का परिचय एवं गारंटी का प्रमाण.
- क्रयक्षमता का प्रमाण पत्र एवं घोषणा – प्ररूप – 6 अनुसार.
- सामूहिक प्रतिभूति की स्थिति में प्रमाण पत्र - प्ररूप – 7 अनुसार.
- व्यक्तिगत प्रतिभूति की स्थिति में प्रमाण पत्र - प्ररूप – 7(अ) अनुसार.
- निर्धारित प्रतिभूति सावधि जमा (एफडीआर) अथवा बैंक गारंटी.
- मंडी क्षेत्र के बाहर का होने पर अतिरिक्त प्रतिभूति.
- बैंक गारंटी की स्थिति में बैंक के लेटरहेड पर वचन पत्र - प्ररूप – 7(स) अनुसार.
- स्थावर/अचल संपत्ति बंधक की स्थिति में वैधानिक अनुबंध
- केवल भण्डारण हेतु व्यापारी अनुज्ञप्ति के लिए निर्धारित प्ररूप में शपथपत्र.
- केवल वाणिज्यिक (द्वितीयक) संव्यवहार हेतु कृषकों से क्रय नहीं करने के आशय का निर्धारित प्ररूप में शपथपत्र.

iii. शासकीय, अर्द्धशासकीय, सरकारी स्वामित्व की /सरकार द्वारा प्रवर्तित सहकारी संस्था आदि होने पर व्यापारी, प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता अनुज्ञप्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन करते समय निर्धारित आवेदन फीस, अनुज्ञप्ति फीस एवं प्रतिभूति (जहाँ भी लागू हो) के साथ निम्नानुसार अभिलेख (अनुप्रमाणित छायाप्रतियां) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा:-

- शासकीय, अर्द्धशासकीय, सहकारी संस्था होने पर कार्यालय प्रमुख अथवा अधिकृत प्रतिनिधि, प्राधिकार पत्र के साथ आवेदन कर सकेंगे.
- आवेदनकर्ता संस्था का पंजीयन प्रमाण पत्र, पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक. (कंपनी अधिनियम, सोसाइटी अधिनियम अथवा अन्य किसी विधि के अनुसार मान्य पंजीयन)
- आवेदनकर्ता संस्था के संविधान, नियम, उपनियम, मेमोरैंडम ऑफ़ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ़ एसोसिएशन (जो भी लागू हो)
- आवेदनकर्ता संस्था का आयकर PAN.
- आवेदनकर्ता संस्था का भारत सरकार के केंद्रीय माल एवं सेवा कर अंतर्गत पंजीयन क्रमांक (GSTIN).
- आवेदनकर्ता संस्था का मध्यप्रदेश शासन के वाणिज्यिक कर विभाग अंतर्गत VAT का पंजीयन क्रमांक (TIN).
- आवेदनकर्ता संस्था के सभी बैंक खातों का विवरण (सभी बैंक खातों का विवरण दिया जाना अनिवार्य).
- मंडी कार्य सम्पादित करने वाले अधिकतम 2 अधिकृत प्रतिनिधियों के पहचान का प्रमाण व पते का प्रमाण (अनुसूचित बैंकों में स्वीकार्य KYC मानकों के अनुरूप), आधार क्रमांक एवं समग्र आईडी.
- पूर्व से प्रदेश की किसी मंडी समिति में अनुज्ञप्ति धारण करने की स्थिति में अनुज्ञप्ति क्रमांक, वैधता अवधि एवं ई-अनुज्ञा पोर्टल पर आवंटित MAN.

iv. किसान उत्पादक कम्पनी (FPC) हेतु व्यापारी अनुज्ञप्ति हेतु:-

किसान उत्पादक कम्पनी (FPC) हेतु राज्य शासन/म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड की नीति के अनुसार अथवा प्रबंध संचालक द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों में विहित अनुसार. (जो भी लागू हो)

उक्त (i), (ii), (iii) व (iv) में उल्लेखित अभिलेख की उपलब्धता/अनुपलब्धता के संबंध में मंडी सचिव द्वारा प्रकरण में स्वविवेक से स्पष्ट अभिलिखित निर्णय लिया जा सकेगा ।

18(2)(ग) – आवेदन फीस एवं अनुज्ञप्ति फीस का भुगतान –

ऑनलाइन आवेदन की स्थिति में निर्धारित आवेदन फीस एवं अनुज्ञप्ति फीस का भुगतान नकद (केवल कियोस्क के माध्यम से आवेदन करने पर) अथवा नेटबैंकिंग/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/अन्य ऑनलाइन भुगतान माध्यम से (पोर्टल से स्वयं आवेदन करने पर) किया जावेगा। ऑनलाइन आवेदन की स्थिति में, समय-समय पर नियत पोर्टल शुल्क का भुगतान भी करना होगा।

उक्तानुसार प्राप्त आवेदन फीस एवं अनुज्ञप्ति फीस, एमपी ऑनलाइन (या इस संबंध में अन्य सेवा प्रदाता एजेंसी, जिसके बारे में प्रबंध संचालक द्वारा समय-समय पर निर्देशित किया जाए) के द्वारा मण्डियों को नियत प्रक्रिया, जैसा कि प्रबंध संचालक समय-समय पर निर्देशों में विहित करें, अनुसार अंतरित की जावेगी ।

उपविधि संशोधन आदेश

18(2)(घ) – अनुज्ञप्ति आवेदन का निराकरण –

ऑनलाइन आवेदन, आवश्यक पात्रता एवं अभिलेखों की पूर्ति होने पर ही स्वीकार हो सकेगा।

एमपी ऑनलाइन पर पोर्टल (या इस संबंध में विकसित किये गए अन्य पोर्टल, जिसके बारे में प्रबंध संचालक द्वारा समय-समय पर निर्देशित किया जाए) पर सभी तरह से पूर्ण आवेदन, मण्डी सचिव के लॉगिन पर उपलब्ध होंगे। नवीन अनुज्ञप्ति के प्रकरण में नई नस्ती बनाकर अथवा नवीनीकरण आवेदन के मामले में आवेदक की पुरानी नस्ती के साथ ही, आवेदन को नियत प्ररूप में पंजीबद्ध करते हुए यथास्थिति मण्डी निरीक्षक या मण्डी सचिव को आगामी कार्यवाही के लिये प्रकरण हस्तांतरित किया जावेगा।

इस नस्ती पर बाज़ार व्यवस्था शाखा, मण्डी शुल्क शाखा, लेखा सत्यापन शाखा, अनुज्ञा शाखा, लेखा शाखा तथा अन्य संबंधित शाखा प्रभारियों का अभिमत प्राप्त किया जावेगा।

मण्डी सचिव, आवेदन में उल्लेखित तथ्यों की जांच, मण्डी निरीक्षक अथवा सहायक उप निरीक्षक से कराएंगे। सभी संबंधित शाखाओं से अभिमत प्राप्त होने एवं आवश्यक जांच के उपरांत मण्डी सचिव द्वारा आवेदन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का स्पष्ट निर्णय अभिलिखित किया जाकर अनुज्ञप्ति स्वीकृत अथवा अस्वीकृत की जावेगी ।

अस्वीकृति की दशा में केवल अनुज्ञप्ति फीस नकद राशि अथवा चेक के माध्यम से पंजीकृत डाक द्वारा अथवा आवेदक को हस्तगत कर वापस कर दी जावेगी ।

यह समस्त कार्यवाही आवेदन प्रस्तुत करने के 6 सप्ताह में पूर्ण करली जावेगी।

आवेदक अथवा आवेदनकर्ता संस्था के, पूर्व से किसी मंडी में व्यतिक्रमी एवं बकायादार होने की स्थिति में नवीन अनुज्ञप्ति स्वीकृत अथवा अनुज्ञप्ति नवीकृत नहीं की जावेगी।

मण्डी सचिव, अनुज्ञप्ति स्वीकृति अथवा अस्वीकृति के निर्णय से मण्डी समिति को आगामी सम्मेलन में सूचनार्थ अवगत कराएंगे।

उपविधि संशोधन आदेश

3. उपविधि 2000 की नवीन संशोधित **कंडिका 18 (3) – व्यक्तिगत प्रतिभूति** निम्नानुसार स्थापित किया जाता है -

18 (3) – व्यक्तिगत प्रतिभूति

अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2) के खण्ड (ग्यारह) की कंडिका (क) के अतंर्गत व्यापारी/प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता/पक्का आढ़तिया को अनुज्ञप्ति स्वीकृत करने के पूर्व यह सुनिश्चित करने के लिए कि विक्रेताओं को भुगतान की जोखिम न रहे प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति/फर्म से **प्ररुप-छः** में घोषणा पत्र तथा क्रय क्षमता संबंधी प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया जायेगा जिसके अनुरूप आवेदक को मंडी समिति द्वारा निर्धारित राशि की सावधि जमा (एफडीआर) मंडी समिति के पक्ष में बनवाकर अथवा बैंक गारंटी, मंडी समिति कार्यालय में जमा करनी होगी ।

या उतनी राशि की स्थावर/अचल संपत्ति के मूल अभिलेख मंडी समिति कार्यालय में जमा कराते हुए आवेदक को मंडी समिति के पक्ष में प्रबंध संचालक द्वारा निर्देशों में विहित नियत प्ररूप में वैधानिक अनुबंध करना होगा कि यदि वह विक्रेता को भुगतान करने में असफल रहता है तो उक्त स्थावर संपत्ति मंडी समिति द्वारा बेची जाकर मंडी समिति विक्रेता को भुगतान कर सकती है ।

या मंडी समिति द्वारा निर्धारित की गई प्रतिभूति की राशि नगद जमा की जावेगी एवं रसीद प्राप्त की जावेगी ।

परन्तु प्रतिभूति के रूप में बैंक गारंटी जारी करने वाले संबंधित बैंक के प्रबंधक द्वारा हस्ताक्षरित (नाम एवं पदमुद्रा सहित) **प्ररूप – सात (स)** में वचन पत्र मंडी समिति को प्रस्तुत करना होगा।

व्यक्तिगत प्रतिभूति के प्रमाण स्वरुप **प्ररूप-सात (अ)** में आवेदन के साथ प्रमाण पत्र संलग्न किया जावेगा।

मण्डी समिति इस तथ्य का परीक्षण करती रहेगी कि घोषणा पत्र में एक दिन की खरीद के दर्शाये गये घोषित मूल्य से अधिक मात्रा में कृषि उपज क्रय नहीं की जावे।

ऐसी स्थिति में प्रतिभूति में अधिकतम दैनिक खरीदी के अनुपात में अनिवार्यतः वृद्धि की जाएगी।

यदि आवेदक के द्वारा कृषि उपज के विक्रेता/विक्रेताओ का भुगतान नही किया जाता है तो उसका सम्पूर्ण भुगतान व्यक्तिगत प्रतिभूति की राशि मे से किया जायेगा।

---

4. उपविधि 2000 की नवीन संशोधित **कंडिका 18 (4) – सामूहिक प्रतिभूति** निम्नानुसार स्थापित किया जाता है -

18 (4) – सामूहिक प्रतिभूति

अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2) के खण्ड (ग्यारह) की कंडिका (क) के अतंर्गत व्यापारी/प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता/पक्का आढ़तिया को अनुज्ञप्ति स्वीकृत करने के पूर्व यह सुनिश्चित करने के लिए कि विक्रेताओं को भुगतान की जोखिम न रहे **प्ररुप-छः** में घोषणा पत्र तथा क्रय क्षमता संबंधी प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया जायेगा।

सामूहिक प्रतिभूति के लिए मंडी में कार्यरत समस्त व्यापारी संगठन मंडी समिति कार्यालय में पंजीबद्ध होंगे एवं व्यापारियों के मामले में व्यापारी संगठनों को मंडी समिति द्वारा निर्धारित राशि की सावधि जमा (एफडीआर) मंडी समिति के पक्ष मे बनवाकर अथवा बैंक गारंटी, मंडी समिति कार्यालय में जमा करना होगी एवं आवेदन के साथ **प्ररूप-सात** में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

परन्तु प्रतिभूति के रूप में बैंक गारंटी जारी करने वाले संबंधित बैंक के प्रबंधक द्वारा हस्ताक्षरित (नाम एवं पदमुद्रा सहित) **प्ररूप – सात (स)** में वचन पत्र मंडी समिति को प्रस्तुत करना होगा।

मण्डी समिति इस तथ्य का परीक्षण करती रहेगी कि संबंधित व्यापारी घोषणा पत्र में एक दिन की खरीद के दर्शाये गये घोषित मूल्य से अधिक मात्रा में कृषि उपज क्रय नहीं की जावे।

ऐसी स्थिति में प्रतिभूति में अधिकतम दैनिक खरीदी के अनुपात में अनिवार्यतः वृद्धि की जाएगी।

यदि आवेदक के द्वारा कृषि उपज के विक्रेता/विक्रेताओ का भुगतान नही किया जाता है तो उसका सम्पूर्ण भुगतान सामूहिक प्रतिभूति की राशि मे से किया जायेगा।

उपविधि संशोधन आदेश

5. उपविधि 2000 की नवीन संशोधित **कंडिका 18(5) – प्रतिभूति निराकरण** निम्नानुसार स्थापित किया जाता है -

18(5) – प्रतिभूति की सीमा एवं निराकरण –

अधिनियम की धारा 17(2) के खंड ग्यारह (क) एवं ग्यारह (ख) के अंतर्गत विक्रता को भुगतान की जोखिम न रहे इस हेतु ली जाने वाली व्यक्तिगत, सामूहिक प्रतिभूति जो एफडीआर/ नगद/बैंक गारंटी/स्थावर संपत्ति/के रूप में ली जाएगी उसकी निम्नानुसार न्यूनतम सीमा निर्धारित की जाती है : -

अनुज्ञप्ति का प्रकार	**प्रतिभूति**
(अ) व्यापारी/ पक्का आढ़तिया हेतु अनुज्ञप्ति	न्यूनतम रूपये 1,00,000 /- अथवा एक दिन की क्रय क्षमता अनुसार (जो भी अधिक हो) **(प्रतिभूति में अधिकतम दैनिक खरीदी के अनुपात में अनिवार्यतः वृद्धि की जाएगी।)**
(अ-1) शासकीय, अर्द्धशासकीय, सरकारी स्वामित्व की /सरकार द्वारा प्रवर्तित सहकारी संस्था हेतु व्यापारी अनुज्ञप्ति	प्रतिभूति से मुक्त
(अ-2) केवल भंडारण हेतु व्यापारी अनुज्ञप्ति	**कृषकों से कृषि उपज क्रय नहीं किये जाने का प्रतिबन्ध होने से प्रतिभूति से मुक्त**
(अ-3) किसान उत्पादक कम्पनी (FPC) हेतु व्यापारी अनुज्ञप्ति	किसान उत्पादक कम्पनी (FPC) हेतु राज्य शासन/म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड की नीति के अनुसार अथवा प्रबंध संचालक द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों में विहित अनुसार. (जो भी लागू हो)
(अ-4) केवल वाणिज्यिक (द्वितीयक) संव्यवहार हेतु व्यापारी अनुज्ञप्ति	**कृषकों से कृषि उपज क्रय नहीं किये जाने का प्रतिबन्ध होने से प्रतिभूति से मुक्त**
(ब) प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता हेतु अनुज्ञप्ति	न्यूनतम रूपये 1,00,000 /- अथवा एक दिन की क्रय क्षमता अनुसार (जो भी अधिक हो) **(प्रतिभूति में अधिकतम दैनिक खरीदी के अनुपात में अनिवार्यतः वृद्धि की जाएगी।)**
(ब-1) शासकीय, अर्द्धशासकीय, सरकारी स्वामित्व की /सरकार द्वारा प्रवर्तित सहकारी संस्था हेतु प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता अनुज्ञप्ति	प्रतिभूति से मुक्त

किसान उत्पादक कम्पनी (FPC) हेतु राज्य शासन/ म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड की नीति के अनुसार अथवा प्रबंध संचालक द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों में विहित अनुसार (जो भी लागू हो) प्रावधान लागू होंगे.

मंडी क्षेत्र के बाहर का होने पर अतिरिक्त प्रतिभूति –

मण्डी क्षेत्र के बाहर निवास करने वाले आवेदक के लिए **(उक्त अ, ब के लिए)** उक्तानुसार प्रतिभूति के निम्नानुसार अतिरिक्त प्रतिभूति, मण्डी समिति के पक्ष मे नकद, सावधि जमा अथवा बैंक गारंटी की प्रतिभूति मण्डी समिति में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा.

''अ'' वर्ग की मण्डी हेतु	न्यूनतम रूपये 3.00 लाख
''ब'' वर्ग हेतु	न्यूनतम रूपये 2.00 लाख
''स'' वर्ग हेतु	न्यूनतम रूपये 1.50 लाख
''द'' वर्ग हेतु	न्यूनतम रूपये 1.00 लाख

मंडी समिति इस तथ्य का परीक्षण करती रहेगी कि घोषणा पत्र में एक दिन की खरीद के दर्शाये गये घोषित मूल्य से अधिक मात्रा में कृषि उपज क्रय नहीं की जावे।

ऐसी स्थिति में प्रतिभूति में अधिकतम दैनिक खरीदी के अनुपात में अनिवार्यतः वृद्धि की जाएगी।

प्रतिभूति का निराकरण :-

यदि कृषक विक्रेताओं की भुगतान की राशि अथवा/एवं मंडी के कोई शोध्य शेष/बकाया, यदि कोई हो तो, उक्त प्रतिभूति में से वसूल की जाकर शेष राशि वापस की जाएगी । स्थावर/अचल संपत्ति के प्रतिभूति के रूप में वैधानिक अनुबंध की स्थिति में संपत्ति भू-राजस्व बकाया की वसूली के क्रम में कुर्की की जाकर कृषक विक्रेताओं की भुगतान की राशि अथवा/एवं मंडी के कोई शोध्य शेष/बकाया वसूल किया जाएगा.

उपविधि संशोधन आदेश

6. उपविधि 2000 की **कंडिका 18(5) – अवधि** को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है -

18(6) – अनुज्ञप्ति की वैधता अवधि –

मूलतः अनुज्ञप्ति की अवधि अनुज्ञप्ति स्वीकृत होने के दिनाँक से पाँच वर्ष तक होगी।

अनुज्ञप्ति नवीनीकरण के मामले में निर्धारित समयावधि पूर्व आवेदन प्राप्त होने पर पूर्व स्वीकृत अनुज्ञप्ति की समाप्ति दिनाँक से ही पाँच वर्ष तक नवीनीकृत की जा सकेगी।

परंतु अनुज्ञप्ति नवीनीकरण हेतु आवेदन निर्धारित समयावधि उपरांत प्राप्त होने पर अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण, स्वीकृत होने के दिनाँक से ही पाँच वर्ष की अवधि हेतु किया जावेगा।

यदि मण्डी समिति की राय में अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी/ प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता/ पक्का आढ़तिया का कार्य तथा आचरण संतोषप्रद पाया जाता है तब अनुज्ञप्ति की अवधि निम्नानुसार आवश्यक शुल्क डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा कराकर जीवन भर के लिए बढ़ा दी जावेगी:-

	अनुज्ञप्ति का प्रकार	**अनुज्ञप्ति फीस** (जीवन भर के लिए)
(अ)	व्यापारी/ पक्का आढ़तिया हेतु अनुज्ञप्ति	रु 2,50,000 /-
(ब)	प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता हेतु अनुज्ञप्ति	रु 10,00,000 /-

परन्तु पार्टनरशिप फर्म की दशा में पार्टनर्स के नामों में परिवर्तन होने पर अथवा कम्पनी की दशा में संचालकगण के नामों में परिवर्तन होने की दशा में परिवर्तन के चौदह दिवस के भीतर मण्डी समिति को लिखित रूप में सूचना दी जायेगी। मण्डी समिति उपयुक्त परीक्षण के बाद इस परिवर्तन के संबंध में निर्णय लेकर अनुज्ञप्तिधारी को सूचित करेगी।

उपविधि संशोधन अधिसूचना

7. उपविधि 2000 की नवीन संशोधित **कंडिका 18(7) – अनुज्ञप्ति जारी करना** निम्नानुसार पुनर्स्थापित किया जाता है -

18(7) – अनुज्ञप्ति जारी करना –

आवेदन प्राप्त होने पर उपयुक्त जांच की प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी। आवेदन यदि स्वीकृत किया जाता है तब प्रारूप-आठ में अनुज्ञप्ति मोटे कागज पर जारी की जायेगी। अनुज्ञप्ति पर सचिव के हस्ताक्षर/डिजिटल सिग्नेचर होगें ।

ऑनलाइन आवेदन करने पर अनुज्ञप्ति एमपी ऑनलाइन के पोर्टल (या इस संबंध में विकसित किये गए अन्य पोर्टल, जिसके बारे में प्रबंध संचालक द्वारा समय-समय पर निर्देशित किया जाए) से भी डाउनलोड की जा सकेगी ।

अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुज्ञप्ति को कांच फ्रेम में जड़वा कर प्रतिष्ठान पर प्रदर्शित किया जावेगा।

उपविधि संशोधन आदेश

B. उपविधि 2000 की नवीन संशोधित **कंडिका 19 – अनुज्ञप्ति को निलंबित अथवा रद्द किया जाना** के खंड (1) को निम्नानुसार पुनर्स्थापित किया जाता है –

19(1) मण्डी समिति द्वारा उपविधि 18 एवं 30 के अन्तर्गत स्वीकृत अनुज्ञप्ति को निम्न आधारों पर निलंबित अथवा रद्द किया जावेगा :-

(क) अनुज्ञप्ति धारी का आचरण मण्डी समिति के हित में नही होने पर।

(ख) मण्डी फीस/निराश्रित सहायता राशि का भुगतान चौदह दिन के भीतर नही करने पर अथवा विलम्ब की दशा में 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित 1 माह में भुगतान नहीं करने पर।

(ग) मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972, उसके अधीन बनाये गए नियम, उपविधि के प्रावधानों का उल्लंघन करने।

(घ) अन्य अवशेष के मामलों में मण्डी समिति से जारी सूचना पत्र/मांग पत्र में उल्लेखित अवधि में राशि जमा न करने पर।

(ङ) विवरणियां नियत कालिक अवधि में प्रस्तुत न करने पर।

(च) मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 37(2)(ग) के प्रावधान अनुसार विक्रेता/कृषकों को देय ब्याज सहित भुगतान नियत समयावधि में नहीं करने पर अनुज्ञप्ति स्वतः रद्द/निरस्त कर दी गयी समझी जाएगी।

(छ) अनुज्ञप्ति हेतु जमा करायी गयी व्यक्तिगत/सामूहिक प्रतिभूति को अधिकतम दैनिक खरीदी के अनुपात में वृद्धि करना तथा अभिलेखों की वैधता अवधि समाप्ति की दशा में वैधता अवधि को बढ़ाना अनिवार्य होगा.

(ज) अनुज्ञप्तिधारी या अनुज्ञप्तिधारियों का कोई संगठन यदि हड़ताल, तालाबंदी, कार्य न करने या अन्य किसी प्रकार से मंडी के कार्यों में बाधा उत्पन्न करने का कार्य करता है तो उसे निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होगा :-

- हड़ताल, तालाबंदी, कार्य न करने या किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने के 7 कार्य दिवस पूर्व मंडी समिति एवं प्रबंध संचालक को लिखित सूचना देना अनिवार्य होगा।
- उपरोक्त निर्देश का पालन ना करने पर मंडी समिति या प्रबंध संचालक या प्रबंध संचालक के द्वारा निर्देशित कोई भी प्राधिकारी मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 के प्रावधानो के अंतर्गत, हड़ताल आदि करने वाले व्यक्ति या संगठन, संगठन से जुड़े किसी भी व्यक्ति पर निम्नलिखित कार्यवाही की जा सकेगी -
  - (अ) किसी भी व्यक्ति या संगठन द्वारा उपरोक्त प्रक्रिया में सूचना ना दिये जाने की स्थिति में संगठन या संगठन से जुड़े व्यक्तियों की अनुज्ञप्ति 7 कार्य दिवस के लिये निलंबित कर दी जायेगी।
  - (ब) उपरोक्त बिंदु क्रमांक (अ) का दोबारा उल्लंघन करने वाले व्यक्ति एवं संगठन या संगठन से जुड़े व्यक्तियों की अनुज्ञप्ति 14 कार्य दिवस के लिये निलंबित कर दी जायेगी।
  - (स) यदि कोई भी व्यक्ति एवं संगठन, उपरोक्त बिंदु क्रमांक (अ) एवं (ब) का उल्लंघन करते हुये पाया जाता है तो उसकी अनुज्ञप्ति को निरस्त कर दिया जायेगा।
- कोई भी व्यक्ति एवं संगठन जो कि हड़ताल करने का इच्छुक है एवं उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया का पालन करता है, वह किसी भी अन्य व्यक्ति के कार्य में बाधा पहुँचाने से निषेधित किया जाता है। ऐसा पाये जाने पर उक्त व्यक्ति पर मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 एवं उपरोक्त प्रावधानो के तहत कार्यवाही की जायेगी।

C. उपविधि 2000 की नवीन **प्ररूप – सात (स) बैंक गारंटी के रूप में प्रतिभूति प्रस्तुत करने पर बैंक द्वारा जारी किया जाने वाला वचन पत्र** को निम्नानुसार स्थापित किया जाता है –

प्ररूप – सात (स)

(बैंक के लेटरहेड पर)

वचन पत्र

..... (बैंक का नाम)

..... (आवेदक अथवा आवेदनकर्ता संस्था व्यापारी/ प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता का नाम) के संबंध में यह वचन दिया जाता है कि यदि उक्त फर्म/व्यक्ति, किसी विक्रेता का रू. ..... तक का भुगतान नहीं करता है तो यह बैंक, मंडी समिति के सचिव से लिखित में सूचना प्राप्त होते ही मंडी समिति के खाते में रूपये .....तक का धन विक्रेता को भुगतान के लिये जमा करेगा।

यह वचन पत्र दिनांक..... तक वैद्य है।

प्रबंधक .....

बैंक शाखा .....

उपविधि संशोधन आदेश

D. उपविधि 2000 की अनुज्ञप्ति प्ररूप – आठ को निम्नानुसार संशोधित किया जाकर तीन पृथक-पृथक **प्ररूप – आठ (1)**, **प्ररूप – आठ (2), प्ररूप – आठ (3), प्ररूप – आठ (4)** एवं **प्ररूप – आठ (5)** स्थापित किया जाता है –

प्ररूप – आठ (1)

(अधिनियम की धारा 32 एवं उपविधि 18(7) के अन्तर्गत)

लोगो

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड

कृषि उपज मण्डी समिति
_____ जिला _____

व्यापारी/पक्का आढ़तिया/प्रसंस्करणकर्ता/विनिर्माता अनुज्ञप्ति

अनुक्रमांक _____ दिनांक____/____/_____

श्री/ श्रीमति/ कुमारी/मेसर्स (प्रोपराइटरशिप फर्म/पार्टनरशिप फर्म/कंपनी/संस्था/हिन्दू अविभक्त परिवार/सोसाइटी/कोऑपरेटिव सोसाइटी/अन्य) _____(पूरा नाम), _____ (पूरा पता) को दिनांक ____/____/_____ को **व्यापारी/पक्का आढ़तिया/प्रसंस्करणकर्ता/विनिर्माता*** कृत्यकारी के रूप में अनुज्ञप्ति स्वीकृत/नवीकृत की जाती है । यह अनुज्ञप्ति स्वीकृत/नवीकृत दिनांक से पाँच वर्ष की अवधि तक अर्थात दिनांक ____/____/_____ तक प्रभावशील रहेगी।

2. उक्त अनुज्ञप्ति हेतु जमा करायी गई व्यक्तिगत/सामूहिक प्रतिभूति (सावधि जमा/बैंक गारंटी/ स्थावर/अचल संपत्ति विलेख) की राशि रूपये _____, एवं वैधता दिनांक ____/____/_____ तक है।

हस्ताक्षर अथवा डिजिटल सिग्नेचर

सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति,
_____जिला_____

3. अनुज्ञप्तिधारी के आचरण का पर्यवेक्षण कर लिया गया है। फलस्वरूप अनुज्ञप्ति जीवनभर के लिये वैद्य हैं।

हस्ताक्षर अथवा डिजिटल सिग्नेचर

सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति,
_____जिला_____

* जो भी लागू हो.

उपविधि संशोधन आदेश

यह अनुज्ञप्ति निम्न आधारों पर निलंबित अथवा रद्द/निरस्त की जा सकेगी:-

(क) अनुज्ञप्ति धारी का आचरण मण्डी समिति के हित में नही होने पर।

(ख) मण्डी फीस/निराश्रित सहायता राशि का भुगतान चौदह दिन के भीतर नही करने पर अथवा विलम्ब की दशा में 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित 1 माह में भुगतान नहीं करने पर।

(ग) मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972, उसके अधीन बनाये गए नियम, उपविधि के प्रावधानों का उल्लंघन करने।

(घ) अन्य अवशेष के मामलों में मण्डी समिति से जारी सूचना पत्र/मांग पत्र में उल्लेखित अवधि में राशि जमा न करने पर।

(ङ) विवरणियां नियत कालिक अवधि में प्रस्तुत न करने पर।

(च) मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 37(2)(ग) के प्रावधान अनुसार विक्रेता/कृषकों को देय ब्याज सहित भुगतान नियत समयावधि में नहीं करने पर यह अनुज्ञप्ति स्वतः रद्द/निरस्त कर दी गयी समझी जाएगी।

(छ) अनुज्ञप्ति हेतु जमा करायी गयी व्यक्तिगत/सामूहिक प्रतिभूति को अधिकतम दैनिक खरीदी के अनुपात में वृद्धि करना तथा अभिलेखों की वैधता अवधि समाप्ति की दशा में वैधता अवधि को बढ़ाना अनिवार्य होगा .

(ज) अनुज्ञप्तिधारी या अनुज्ञप्तिधारियों का कोई संगठन यदि हड़ताल, तालाबंदी, कार्य न करने या अन्य किसी प्रकार से मंडी के कार्यों में बाधा उत्पन्न करने का कार्य करता है तो उसेनिम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होगा :-

- हड़ताल, तालाबंदी, कार्य न करने या किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने के 7 कार्य दिवस पूर्व मंडी समिति एवं प्रबंध संचालक को लिखित सूचना देना अनिवार्य होगा।
- उपरोक्त निर्देश का पालन ना करने पर मंडी समिति या प्रबंध संचालक या प्रबंध संचालक के द्वारा निर्देशित कोई भी प्राधिकारी मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 के प्रावधानो के अंतर्गत, हड़ताल आदि करने वाले व्यक्ति या संगठन, संगठन से जुड़े किसी भी व्यक्ति पर निम्नलिखित कार्यवाही की जा सकेगी -
  - (अ) किसी भी व्यक्ति या संगठन द्वारा उपरोक्त प्रक्रिया में सूचना ना दिये जाने की स्थिति में संगठन या संगठन से जुड़े व्यक्तियों की अनुज्ञप्ति 7 कार्य दिवस के लिये निलंबित कर दी जायेगी।
  - (ब) उपरोक्त बिंदु क्रमांक (अ) का दोबारा उल्लंघन करने वाले व्यक्ति एवं संगठन या संगठन से जुड़े व्यक्तियों की अनुज्ञप्ति 14 कार्य दिवस के लिये निलंबित कर दी जायेगी।
  - (स) यदि किसी भी व्यक्ति एवं संगठन, उपरोक्त बिंदु क्रमांक (अ) एवं (ब) का उल्लंघन करते हुये पाया जाता है तो उसकी अनुज्ञप्ति को निरस्त कर दिया जायेगा।
- कोई भी व्यक्ति एवं संगठन जो कि हड़ताल करने का इच्छुक है एवं उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया का पालन करता है, वह किसी भी अन्य व्यक्ति के कार्य में बाधा पहुँचाने से निषेधित किया जाता है। ऐसा पाये जाने पर उक्त व्यक्ति पर मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 एवं उपरोक्त प्रावधानो के तहत कार्यवाही की जायेगी।

प्ररूप – आठ (2)
(अधिनियम की धारा 32 एवं उपविधि 18(7) के अन्तर्गत)

लोगो

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड

कृषि उपज मण्डी समिति
_____ जिला _____

शासकीय, अर्द्धशासकीय, सरकारी स्वामित्व की /सरकार द्वारा प्रवर्तित सहकारी संस्था हेतु व्यापारी/ प्रसंस्करणकर्ता/विनिर्माता अनुज्ञप्ति

अनुक्रमांक _____ दिनांक____/____/_____

मेसर्स (शासकीय, अर्द्धशासकीय, सरकारी स्वामित्व की/सरकार द्वारा प्रवर्तित सहकारी संस्था)_____ (पूरा नाम), _____ (पूरा पता) को दिनांक ____/____/_____ को **व्यापारी/प्रसंस्करणकर्ता/विनिर्माता*** कृत्यकारी के रूप में अनुज्ञप्ति स्वीकृत/नवीकृत की जाती है । यह अनुज्ञप्ति स्वीकृत/नवीकृत दिनांक से पाँच वर्ष की अवधि तक अर्थात दिनांक ____/____/_____ तक प्रभावशील रहेगी।

हस्ताक्षर अथवा
डिजिटल सिग्नेचर

सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति,
_____जिला_____

2. अनुज्ञप्तिधारी के आचरण का पर्यवेक्षण कर लिया गया है। फलस्वरूप अनुज्ञप्ति जीवनभर के लिये वैद्य हैं।

हस्ताक्षर अथवा
डिजिटल सिग्नेचर

सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति,
_____जिला_____

* जो भी लागू हो.

उपविधि संशोधन आदेश

यह अनुज्ञप्ति निम्न आधारों पर निलंबित अथवा रद्द/निरस्त की जा सकेगी:-

(क) अनुज्ञप्ति धारी का आचरण मण्डी समिति के हित में नही होने पर।

(ख) मण्डी फीस/निराश्रित सहायता राशि का भुगतान चौदह दिन के भीतर नही करने पर अथवा विलम्ब की दशा में 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित 1 माह में भुगतान नहीं करने पर।

(ग) मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972, उसके अधीन बनाये गए नियम, उपविधि के प्रावधानों का उल्लंघन करने।

(घ) अन्य अवशेष के मामलों में मण्डी समिति से जारी सूचना पत्र/मांग पत्र में उल्लेखित अवधि में राशि जमा न करने पर।

(ङ) विवरणियां नियत कालिक अवधि में प्रस्तुत न करने पर।

उपविधि संशोधन आदेश

प्ररूप – आठ (3)
(अधिनियम की धारा 32 एवं उपविधि 18(7) के अन्तर्गत)

लोगो

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड

कृषि उपज मण्डी समिति
_____ जिला _____

किसान उत्पादक कम्पनी (FPC) हेतु व्यापारी अनुज्ञप्ति

अनुक्रमांक _____ दिनांक____/____/_____

मेसर्स (किसान उत्पादक कंपनी) _____(पूरा नाम), _____ (पूरा पता) को दिनांक ____/____/_____ को **किसान उत्पादक कम्पनी (FPC) हेतु व्यापारी अनुज्ञप्ति** स्वीकृत/नवीकृत की जाती है । यह अनुज्ञप्ति स्वीकृत/नवीकृत दिनांक से पाँच वर्ष की अवधि तक अर्थात दिनांक ____/____/_____ तक प्रभावशील रहेगी।

2. उक्त अनुज्ञप्ति हेतु जमा करायी गई व्यक्तिगत/सामूहिक प्रतिभूति (सावधि जमा/बैंक गारंटी/ स्थावर/अचल संपत्ति विलेख/गारंटी) की राशि रूपये _____, एवं वैधता दिनांक ____/____/_____ तक है।

हस्ताक्षर अथवा डिजिटल सिग्नेचर

सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति,
_____जिला_____

3. अनुज्ञप्तिधारी के आचरण का पर्यवेक्षण कर लिया गया है। फलस्वरूप अनुज्ञप्ति जीवनभर के लिये वैद्य हैं।

हस्ताक्षर अथवा डिजिटल सिग्नेचर

सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति,
_____जिला_____

यह अनुज्ञप्ति निम्न आधारों पर निलंबित अथवा रद्द/निरस्त की जा सकेगी:-

(क) अनुज्ञप्ति धारी का आचरण मण्डी समिति के हित में नही होने पर।

(ख) मण्डी फीस/निराश्रित सहायता राशि का भुगतान चौदह दिन के भीतर नही करने पर अथवा विलम्ब की दशा में 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित 1 माह में भुगतान नहीं करने पर।

उपविधि संशोधन आदेश

(ग) मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972, उसके अधीन बनाये गए नियम, उपविधि के प्रावधानों का उल्लंघन करने।

(घ) अन्य अवशेष के मामलों में मण्डी समिति से जारी सूचना पत्र/मांग पत्र में उल्लेखित अवधि में राशि जमा न करने पर।

(ङ) विवरणियां नियत कालिक अवधि में प्रस्तुत न करने पर।

(च) मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 37(2)(ग) के प्रावधान अनुसार विक्रेता/कृषकों को देय ब्याज सहित भुगतान नियत समयावधि में नहीं करने पर यह अनुज्ञप्ति स्वतः रद्द/निरस्त कर दी गयी समझी जाएगी।

(छ) अनुज्ञप्ति हेतु जमा करायी गयी व्यक्तिगत/सामूहिक प्रतिभूति को अधिकतम दैनिक खरीदी के अनुपात में वृद्धि करना तथा अभिलेखों की वैधता अवधि समाप्ति की दशा में वैधता अवधि को बढ़ाना अनिवार्य होगा .

(ज) अनुज्ञप्तिधारी या अनुज्ञप्तिधारियों का कोई संगठन यदि हड़ताल, तालाबंदी, कार्य न करने या अन्य किसी प्रकार से मंडी के कार्यों में बाधा उत्पन्न करने का कार्य करता है तो उसेनिम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होगा :-

- हड़ताल, तालाबंदी, कार्य न करने या किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने के 7 कार्य दिवस पूर्व मंडी समिति एवं प्रबंध संचालक को लिखित सूचना देना अनिवार्य होगा।
- उपरोक्त निर्देश का पालन ना करने पर मंडी समिति या प्रबंध संचालक या प्रबंध संचालक के द्वारा निर्देशित कोई भी प्राधिकारी मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 के प्रावधानो के अंतर्गत, हड़ताल आदि करने वाले व्यक्ति या संगठन, संगठन से जुड़े किसी भी व्यक्ति पर निम्नलिखित कार्यवाही की जा सकेगी -

  (अ) किसी भी व्यक्ति या संगठन द्वारा उपरोक्त प्रक्रिया में सूचना ना दिये जाने की स्थिति में संगठन या संगठन से जुड़े व्यक्तियों की अनुज्ञप्ति 7 कार्य दिवस के लिये निलंबित कर दी जायेगी।

  (ब) उपरोक्त बिंदु क्रमांक (अ) का दोबारा उल्लंघन करने वाले व्यक्ति एवं संगठन या संगठन से जुड़े व्यक्तियों की अनुज्ञप्ति 14 कार्य दिवस के लिये निलंबित कर दी जायेगी।

  (स) यदि किसी भी व्यक्ति एवं संगठन, उपरोक्त क्रमांक बिंदु (अ) एवं (ब) का उल्लंघन करते हुये पाया जाता है तो उसकी अनुज्ञप्ति को निरस्त कर दिया जायेगा।
- कोई भी व्यक्ति एवं संगठन जो कि हड़ताल करने का इच्छुक है एवं उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया का पालन करता है, वह किसी भी अन्य व्यक्ति के कार्य में बाधा पहुँचाने से निषेधित किया जाता है। ऐसा पाये जाने पर उक्त व्यक्ति पर मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 एवं उपरोक्त प्रावधानो के तहत कार्यवाही की जायेगी।

उपविधि प्रकाशन प्रारूप

प्ररूप – आठ (4)
(अधिनियम की धारा 32 एवं उपविधि 18(7) के अन्तर्गत)

लोगो

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड

कृषि उपज मण्डी समिति
_____ जिला _____

केवल वाणिज्यिक (द्वितीयक) संव्यवहार हेतु व्यापारी अनुज्ञप्ति

अनुक्रमांक _____ दिनांक____/____/_____

श्री/ श्रीमति/ कुमारी/मेसर्स (प्रोपराइटरशिप फर्म/पार्टनरशिप फर्म/कंपनी/संस्था/हिन्दू अविभक्त परिवार/सोसाइटी/कोऑपरेटिव सोसाइटी/ अन्य) _____(पूरा नाम), _____ (पूरा पता) को दिनांक ____/____/_____ को **केवल वाणिज्यिक (द्वितीयक) संव्यवहार हेतु व्यापारी अनुज्ञप्ति** स्वीकृत/नवीकृत की जाती है । यह अनुज्ञप्ति स्वीकृत/नवीकृत दिनांक से पाँच वर्ष की अवधि तक अर्थात दिनांक ____/____/_____ तक प्रभावशील रहेगी।

2. उक्त अनुज्ञप्ति केवल वाणिज्यिक संव्यवहार हेतु स्वीकृत/नवीकृत की गई है। इस अनुज्ञप्ति के आधार पर कृषकों से कृषि उपज का क्रय (प्राथमिक संव्यवहार) नहीं किया जा सकेगा।

हस्ताक्षर अथवा डिजिटल सिग्नेचर

सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति,
_____जिला_____

यह अनुज्ञप्ति निम्न आधारों पर निलंबित अथवा रद्द/निरस्त की जा सकेगी:-

(क) अनुज्ञप्ति धारी का आचरण मण्डी समिति के हित में नही होने पर।
(ख) मण्डी फीस/निराश्रित सहायता राशि का भुगतान चौदह दिन के भीतर नही करने पर अथवा विलम्ब की दशा में 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित 1 माह में भुगतान नहीं करने पर।
(ग) मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972, उसके अधीन बनाये गए नियम, उपविधि के प्रावधानों का उल्लंघन करने।
(घ) अन्य अवशेष के मामलों में मण्डी समिति से जारी सूचना पत्र/मांग पत्र में उल्लेखित अवधि में राशि जमा न करने पर।
(ङ) विवरणियां नियत कालिक अवधि में प्रस्तुत न करने पर।

(च) उक्त अनुज्ञप्ति केवल वाणिज्यिक संव्यवहार हेतु स्वीकृत/नवीकृत की गई है। इस अनुज्ञप्ति के आधार पर कृषकों से कृषि उपज का क्रय (प्राथमिक संव्यवहार) नहीं किया जा सकेगा।

(छ) अनुज्ञप्तिधारी या अनुज्ञप्तिधारियों का कोई संगठन यदि हड़ताल, तालाबंदी, कार्य न करने या अन्य किसी प्रकार से मंडी के कार्यों में बाधा उत्पन्न करने का कार्य करता है तो उसेनिम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होगा :-

- हड़ताल, तालाबंदी, कार्य न करने या किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने के 7 कार्य दिवस पूर्व मंडी समिति एवं प्रबंध संचालक को लिखित सूचना देना अनिवार्य होगा।
- उपरोक्त निर्देश का पालन ना करने पर मंडी समिति या प्रबंध संचालक या प्रबंध संचालक के द्वारा निर्देशित कोई भी प्राधिकारी मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 के प्रावधानो के अंतर्गत, हड़ताल आदि करने वाले व्यक्ति या संगठन, संगठन से जुड़े किसी भी व्यक्ति पर निम्नलिखित कार्यवाही की जा सकेगी -

  (अ) किसी भी व्यक्ति या संगठन द्वारा उपरोक्त प्रक्रिया में सूचना ना दिये जाने की स्थिति में संगठन या संगठन से जुड़े व्यक्तियों की अनुज्ञप्ति 7 कार्य दिवस के लिये निलंबित कर दी जायेगी।

  (ब) उपरोक्त बिंदु क्रमांक (अ) का दोबारा उल्लंघन करने वाले व्यक्ति एवं संगठन या संगठन से जुड़े व्यक्तियों की अनुज्ञप्ति 14 कार्य दिवस के लिये निलंबित कर दी जायेगी।

  (स) यदि किसी भी व्यक्ति एवं संगठन, उपरोक्त बिंदु क्रमांक (अ) एवं (ब) का उल्लंघन करते हुये पाया जाता है तो उसकी अनुज्ञप्ति को निरस्त कर दिया जायेगा।

- कोई भी व्यक्ति एवं संगठन जो कि हड़ताल करने का इच्छुक है एवं उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया का पालन करता है, वह किसी भी अन्य व्यक्ति के कार्य में बाधा पहुँचाने से निषेधित किया जाता है। ऐसा पाये जाने पर उक्त व्यक्ति पर मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 एवं उपरोक्त प्रावधानो के तहत कार्यवाही की जायेगी।

उपविधि संशोधन आदेश

प्ररूप – आठ (5)
(अधिनियम की धारा 32 एवं उपविधि 18(7) के अन्तर्गत)

लोगो

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड

कृषि उपज मण्डी समिति
_____ जिला _____

केवल भण्डारण हेतु व्यापारी अनुज्ञप्ति

अनुक्रमांक _____ दिनांक____/____/_____

श्री/ श्रीमति/ कुमारी/मेसर्स (प्रोपराइटरशिप फर्म/पार्टनरशिप फर्म/कंपनी/संस्था/हिन्दू अविभक्त परिवार/सोसाइटी/कोऑपरेटिव सोसाइटी/ अन्य) _____(पूरा नाम), _____ (पूरा पता) को दिनांक ____/____/_____ को **केवल भण्डारण हेतु व्यापारी अनुज्ञप्ति** स्वीकृत/नवीकृत की जाती है । यह अनुज्ञप्ति स्वीकृत/नवीकृत दिनांक से पाँच वर्ष की अवधि तक अर्थात दिनांक ____/____/_____ तक प्रभावशील रहेगी।

2. उक्त अनुज्ञप्ति केवल भण्डारण हेतु स्वीकृत/नवीकृत की गई है। इस अनुज्ञप्ति के आधार पर कृषकों से कृषि उपज का क्रय (प्राथमिक संव्यवहार) नहीं किया जा सकेगा।

हस्ताक्षर अथवा डिजिटल सिग्नेचर

सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति,
_____जिला_____

यह अनुज्ञप्ति निम्न आधारों पर निलंबित अथवा रद्द/निरस्त की जा सकेगी:-

(क) अनुज्ञप्ति धारी का आचरण मण्डी समिति के हित में नही होने पर।
(ख) मण्डी फीस/निराश्रित सहायता राशि का भुगतान चौदह दिन के भीतर नही करने पर अथवा विलम्ब की दशा में 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित 1 माह में भुगतान नहीं करने पर।
(ग) मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972, उसके अधीन बनाये गए नियम, उपविधि के प्रावधानों का उल्लंघन करने।
(घ) अन्य अवशेष के मामलों में मण्डी समिति से जारी सूचना पत्र/मांग पत्र में उल्लेखित अवधि में राशि जमा न करने पर।
(ङ) विवरणियां नियत कालिक अवधि में प्रस्तुत न करने पर।

(च) उक्त अनुज्ञप्ति केवल भण्डारण हेतु स्वीकृत/नवीकृत की गई है। इस अनुज्ञप्ति के आधार पर कृषकों से कृषि उपज का क्रय (प्राथमिक संव्यवहार) नहीं किया जा सकेगा।

(छ) अनुज्ञप्तिधारी या अनुज्ञप्तिधारियों का कोई संगठन यदि हड़ताल, तालाबंदी, कार्य न करने या अन्य किसी प्रकार से मंडी के कार्यों में बाधा उत्पन्न करने का कार्य करता है तो उसेनिम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होगा :-

- हड़ताल, तालाबंदी, कार्य न करने या किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने के 7 कार्य दिवस पूर्व मंडी समिति एवं प्रबंध संचालक को लिखित सूचना देना अनिवार्य होगा।
- उपरोक्त निर्देश का पालन ना करने पर मंडी समिति या प्रबंध संचालक या प्रबंध संचालक के द्वारा निर्देशित कोई भी प्राधिकारी मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 के प्रावधानो के अंतर्गत, हड़ताल आदि करने वाले व्यक्ति या संगठन, संगठन से जुड़े किसी भी व्यक्ति पर निम्नलिखित कार्यवाही की जा सकेगी -
  - (अ) किसी भी व्यक्ति या संगठन द्वारा उपरोक्त प्रक्रिया में सूचना ना दिये जाने की स्थिति में संगठन या संगठन से जुड़े व्यक्तियों की अनुज्ञप्ति 7 कार्य दिवस के लिये निलंबित कर दी जायेगी।
  - (ब) उपरोक्त बिंदु क्रमांक (अ) का दोबारा उल्लंघन करने वाले व्यक्ति एवं संगठन या संगठन से जुड़े व्यक्तियों की अनुज्ञप्ति 14 कार्य दिवस के लिये निलंबित कर दी जायेगी।
  - (स) यदि किसी भी व्यक्ति एवं संगठन, उपरोक्त क्रमांक बिंदु (अ) एवं (ब) का उल्लंघन करते हुये पाया जाता है तो उसकी अनुज्ञप्ति को निरस्त कर दिया जायेगा।
- कोई भी व्यक्ति एवं संगठन जो कि हड़ताल करने का इच्छुक है एवं उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया का पालन करता है, वह किसी भी अन्य व्यक्ति के कार्य में बाधा पहुँचाने से निषेधित किया जाता है। ऐसा पाये जाने पर उक्त व्यक्ति पर मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 एवं उपरोक्त प्रावधानो के तहत कार्यवाही की जायेगी।

उपविधि संशोधन आदेश

प्ररूप – आठ (6)

(अधिनियम की धारा 32 एवं उपविधि 18(7) के अन्तर्गत)

लोगो

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड

कृषि उपज मण्डी समिति
_____ जिला _____

सर्वेक्षक/भांडागारिक/दलाल/परिवहनकर्ता अनुज्ञप्ति

अनुक्रमांक _____ दिनांक____/____/_____

श्री/ श्रीमति/ कुमारी) _____ (पूरा नाम),
_____ (पूरा पता)
को दिनांक ____/____/_____ को **सर्वेक्षक/भांडागारिक/दलाल/परिवहनकर्ता*** कृत्यकारी के रूप में अनुज्ञप्ति स्वीकृत/नवीकृत कीजाती है । यह अनुज्ञप्ति स्वीकृत/नवीकृत दिनांक से पाँच वर्ष/एक वर्ष की अवधि तक अर्थात दिनांक ____/____/_____ तक प्रभावशील रहेगी।

हस्ताक्षर अथवा
डिजिटल सिग्नेचर

सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति,
_____जिला_____

* जो भी लागू हो.

यह अनुज्ञप्ति निम्न आधारों पर निलंबित अथवा रद्द/निरस्त की जा सकेगी:-

(क) अनुज्ञप्ति धारी का आचरण मण्डी समिति के हित में नही होने पर।

(ख) मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972, उसके अधीन बनाये गए नियम, उपविधि के प्रावधानों का उल्लंघन करने।

(ग) अन्य अवशेष के मामलों में मण्डी समिति से जारी सूचना पत्र/मांग पत्र में उल्लेखित अवधि में राशि जमा न करने पर।

(घ) अनुज्ञप्तिधारी या अनुज्ञप्तिधारियों का कोई संगठन यदि हड़ताल, तालाबंदी, कार्य न करने या अन्य किसी प्रकार से मंडी के कार्यों में बाधा उत्पन्न करने का कार्य करता है तो उसेनिम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होगा :-

- हड़ताल, तालाबंदी, कार्य न करने या किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने के 14 कार्य दिवस पूर्व मंडी समिति एवं प्रबंध संचालक को लिखित सूचना देना अनिवार्य होगा।

सुविधि संशोधन अधीन

- उपरोक्त निर्देश का पालन ना करने पर मंडी समिति या प्रबंध संचालक या प्रबंध संचालक के द्वारा निर्देशित कोई भी प्राधिकारी मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 के प्रावधानो के अंतर्गत, हड़ताल आदि करने वाले व्यक्ति या संगठन, संगठन से जुड़े किसी भी व्यक्ति पर निम्नलिखित कार्यवाही की जा सकेगी -
  (अ) किसी भी व्यक्ति या संगठन द्वारा उपरोक्त प्रक्रिया में सूचना ना दिये जाने की स्थिति में संगठन या संगठन से जुड़े व्यक्तियों की अनुज्ञप्ति 7 कार्य दिवस के लिये निलंबित कर दी जायेगी।
  (ब) उपरोक्त बिंदु क्रमांक (अ) का दोबारा उल्लंघन करने वाले व्यक्ति एवं संगठन या संगठन से जुड़े व्यक्तियों की अनुज्ञप्ति 14 कार्य दिवस के लिये निलंबित कर दी जायेगी।
  (स) यदि किसी भी व्यक्ति एवं संगठन, उपरोक्त बिंदु क्रमांक (अ) एवं (ब) का उल्लंघन करते हुये पाया जाता है तो उसकी अनुज्ञप्ति को निरस्त कर दिया जायेगा।
- कोई भी व्यक्ति एवं संगठन जो कि हड़ताल करने का इच्छुक है एवं उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया का पालन करता है, वह किसी भी अन्य व्यक्ति के कार्य में बाधा पहुँचाने से निषेधित किया जाता है। ऐसा पाये जाने पर उक्त व्यक्ति पर मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 एवं उपरोक्त प्रावधानो के तहत कार्यवाही की जायेगी।

उपविधि संशोधन अधिसूचना

प्ररूप – आठ (7)
(अधिनियम की धारा 32 एवं उपविधि 18(7) के अन्तर्गत)

लोगो

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड

कृषि उपज मण्डी समिति
_____ जिला _____

संबंधित का पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ

तुलैया अथवा तुलावटी /हम्माल अनुज्ञप्ति

अनुक्रमांक _____ दिनांक____/____/_____

श्री/ श्रीमति/ कुमारी) _____ (पूरा नाम),
_____ (पूरा पता)
को दिनांक ____/____/_____ को **तुलैया अथवा तुलावटी /हम्माल*** कृत्यकारी के रूप में अनुज्ञप्ति स्वीकृत/नवीकृत कीजाती है । यह अनुज्ञप्ति स्वीकृत/नवीकृत दिनांक से पाँच वर्ष/एक वर्ष की अवधि तक अर्थात दिनांक ____/____/_____ तक प्रभावशील रहेगी।

हस्ताक्षर अथवा
डिजिटल सिग्नेचर

सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति,
_____जिला_____

* जो भी लागू हो.

यह अनुज्ञप्ति निम्न आधारों पर निलंबित अथवा रद्द/निरस्त की जा सकेगी:-

(क) अनुज्ञप्ति धारी का आचरण मण्डी समिति के हित में नही होने पर।

(ख) मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972, उसके अधीन बनाये गए नियम, उपविधि के प्रावधानों का उल्लंघन करने।

(ग) अन्य अवशेष के मामलों में मण्डी समिति से जारी सूचना पत्र/मांग पत्र में उल्लेखित अवधि में राशि जमा न करने पर।

(घ) अनुज्ञप्तिधारी या अनुज्ञप्तिधारियों का कोई संगठन यदि हड़ताल, तालाबंदी, कार्य न करने या अन्य किसी प्रकार से मंडी के कार्यों में बाधा उत्पन्न करने का कार्य करता है तो उसेनिम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होगा :-

- हड़ताल, तालाबंदी, कार्य न करने या किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने के 14 कार्य दिवस पूर्व

मंडी समिति एवं प्रबंध संचालक को लिखित सूचना देना अनिवार्य होगा।

- उपरोक्त निर्देश का पालन ना करने पर मंडी समिति या प्रबंध संचालक या प्रबंध संचालक के द्वारा निर्देशित कोई भी प्राधिकारी मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 के प्रावधानो के अंतर्गत, हड़ताल आदि करने वाले व्यक्ति या संगठन, संगठन से जुड़े किसी भी व्यक्ति पर निम्नलिखित कार्यवाही की जा सकेगी -
  (अ) किसी भी व्यक्ति या संगठन द्वारा उपरोक्त प्रक्रिया में सूचना ना दिये जाने की स्थिति में संगठन या संगठन से जुड़े व्यक्तियों की अनुज्ञप्ति 7 कार्य दिवस के लिये निलंबित कर दी जायेगी।
  (ब) उपरोक्त बिंदु क्रमांक (अ) का दोबारा उल्लंघन करने वाले व्यक्ति एवं संगठन या संगठन से जुड़े व्यक्तियों की अनुज्ञप्ति 14 कार्य दिवस के लिये निलंबित कर दी जायेगी।
  (स) यदि किसी भी व्यक्ति एवं संगठन, उपरोक्त बिंदु क्रमांक (अ) एवं (ब) का उल्लंघन करते हुये पाया जाता है तो उसकी अनुज्ञप्ति को निरस्त कर दिया जायेगा।
- कोई भी व्यक्ति एवं संगठन जो कि हड़ताल करने का इच्छुक है एवं उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया का पालन करता है, वह किसी भी अन्य व्यक्ति के कार्य में बाधा पहुँचाने से निषेधित किया जाता है। ऐसा पाये जाने पर उक्त व्यक्ति पर मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 एवं उपरोक्त प्रावधानो के तहत कार्यवाही की जायेगी।

उपविधि संशोधन अधिसूचना